प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.12.2024

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग का अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25.12.2024 को वादी श्री सुरेन्द्र सिंह विष्ट निवासी साई लोक कालोनी, कारवारी ग्रान्ट, प्रेम नगर देहरादून उत्तराखण्ड ने वादी की पुत्री पुष्पा को दहेज के लिए प्रताड़ित करना तथा मारपीट करना जिससे वादी की पुत्री की प्रताड़ना के कारण मृत्यू हो जाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 27.12.2024 को सजय कुमार पुत्र रनवीर रिह निवी ग्राम तैडी थाना पौडी गढवाल जिला पौडी गढवाल उत्तराखण्ड हाल पता के 15 एसएफ 1 गली नं0 4 कैलाशपुरम 2 गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को एनडीआरएफ ग्राउण्ड के पास थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त संजय कुमार ने पूछने पर बताया कि मेरी और मेरी पत्नी की आपस में कहा सुनी होती रहती थी। दिनांक 25/12/2024 को कहा सुनी कुछ ज्यादा हो गयी।

अभियुक्त का नाम पता-

संजय कुमार पुत्र रनवीर रिह निवी ग्राम तैडी थाना पौडी गढवाल जिला पौडी गढवाल उत्तराखण्ड हाल पता के 15 एसएफ 1 गली नं0 4 कैलाशपुरम 2 गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस द्वारा वायरल वीडियो मे सरे राह लाठी डंडो सहित मार पीट करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.12.2024 को अभियुक्तगण 1.आयुष त्यागी 2. हर्ष शर्मा उर्फ नितीश शर्मा 3. अभिषेक व अन्य 2-3 व्यक्तियो द्वारा कृष्णम रेस्ट्रोरेन्ट के बाहर मारपीट करने के सम्बन्ध में वायरल विडियो का संज्ञान लेते हुये थाना कविनगर पर धारा 191(2)/115(2) बीएनएस अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी थी।

आज दिनांक 28.12.2024 को अभियुक्तगण 1- आयुष त्यागी पुत्र कुमरेश त्यागी निवासी म0न0 27 रामबाग कॉलोनी गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र-26 वर्ष 2- नितीश शर्मा उर्फ हर्ष पुत्र स्व0 सुरेन्द्र शर्मा निवासी आई ब्लॉक म0न0 271 गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष (3). अभिषेक रस्तोगी पुत्र अरविन्द रस्तोगी निवासी

म0न0 के-21/11 बी गली न0-11 नोर्थ घोन्ढा दिल्ली 53 उम्र 19 वर्ष को कृष्णम रेस्ट्रोरेन्ट आरडीसी से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण 1.आयुष त्यागी 2. हर्ष शर्मा उर्फ नितीश शर्मा 3. अभिषेक ने पूछने पर बताया कि साहव दिनांक 27.12.2024 को हम लोग कृष्णम रेस्ट्रोरेन्ट के पास खडे थे कुछ गाड़ी वाले रेस्ट्रोरेन्ट के सामने गाड़ी पार्क करना चा रहै थे हम लोगो ने मना किया तो वह लोग हम पर भडकने लगें इस पर हमलोगो द्वारा उत्तेजना वस व गुस्से में उन लोगो के साथ कहा सुनी व मार पीट हो गयी थी।

अभियुक्त का नाम पता-

1- आयुष त्यागी पुत्र कुमरेश त्यागी निवासी म0न0 27 रामबाग कॉलोनी गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र- 26 वर्ष

2- नितीश शर्मा उर्फ हर्ष पुत्र स्व0 सुरेन्द्र शर्मा निवासी- I ब्लॉक म0न0 271 गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

3. अभिषेक रस्तोगी पुत्र अरविन्द रस्तोगी निवासी म0न0 के-21/11 बी गली न0-11 नोर्थ घोन्ढा दिल्ली 53 उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम कमि0 गाजियाबाद

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 28.12.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त रितेश कुमार उर्फ धन्नू पुत्र विनोद कुमार निवासी गली न0-2 शिव विहार फेस-1 थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 35 वर्ष को बिजलीघर के सामने सीमेंट रोड की तरफ से चौकी क्षेत्र डीएलएफ थाना अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह स्कूटी मैंने दिल्ली से चोरी की थी जिसे मैंने बेचने के लिए अभी तक छिपा कर रखा हुआ था। आज मैं इस स्कूटी को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश हेतु निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रितेश कुमार उर्फ धन्नू पुत्र विनोद कुमार निवासी गली न0-2 शिव विहार फेस-1 थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की गयी 01 स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी का जा रही है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस एवं स्वाट टीम ग्रामीण जोन की संयुक्त कार्यवाही द्वारा थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ से 25,000/- रूपये का ईनामी तथा थाना अंकुर विहार से लूट में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान

घायल/गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल एवं अवैध देशी तमंचा 315 बोर जिंदा व खोखा कारतूस बरामद ।

दिनांक 27/12/2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा गेट नं0 02 ट्रोनिका सिटी पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही मुखबिर की सूचना पर कि थाना अंकुर विहार से लूट के मुकदमें में वाँछित चल रहे अभियुक्त चोरी की मोटरसाईकिल पर सवार होकर खेकडा की तरफ जाने वाला है को पकडने हेतु थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस एवं स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा संयुक्त रूप से सतर्कता पूर्वक चैकिंग की जा रही थी, कुछ समय पश्चात बाईक पर सवार एक व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया। नजदीक आने पर मुखबिर ने बताया कि यही भूरा बदमाश है। पुलिस ने टोर्च मारकर रोकने का प्रयास किया नही रूका रोड की दूसरी साईड में कट मारते हुये मण्डौला की तरफ भागने लगा, पुलिस टीम द्वारा इसका पीछा किया और वायरलेस से मण्डौला पर चैकिंग कर रही पीसी 46 को बताया गया। मण्डौला की तरफ से आ रही पुलिस की गाडी को देखकर आवास विकास की तरफ भागने लगा। आगे चलकर हडबडाहट व हो रही बारिश से मोटरसाईकिल डिवाईडर मे लग कर फिसल गयी व पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से दो फायर किये , जिसमें पुलिस टीम बाल-बाल बच गयी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में फायर किया, जिसमें अभियुक्त भूरा के दाये पैर में घुटने से नीचे गोली लग जाने से घायल हो गया व मौके पर पुलिस टीम द्वारा पकड लिया गया। घायल अभियुक्त भूरा को पुलिस द्वारा जीवन-रक्षार्थ वास्ते उपचार अस्पताल भेजा गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त भूरा ने बताया कि उसकी संगत अपराधी प्रवृत्ति के लोगो के साथ हो गयी थी, उनके साथ मिलकर मैने कई घटनायें की है। करीब एक महीने पहले गढी कटैया थाना अंकुर विहार से अपने साथियो के साथ मिलकर बुलेट मोटरसाईकिल लूटी थी तथा मेरठ लिसाडी गेट में करीब 2 महीने पहले अपने 7 साथियो के साथ डकैती की घटना की थी जिसमें मेरे 06 साथी जेल जा चुके है, मै भाग गया था। मुझसे बरामद स्पलेंडर मोटरसाईकिल कुछ दिन पहले ही करावल नगर दिल्ली से चोरी की थी , और पुलिस से बचने के लिए इसकी नम्बर प्लेट उतारकर फेंक दी थी, मेरे पीछे गाजियाबाद, दिल्ली व मेरठ की पुलिस पडी हुयी थी। मै अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये इधर उधर छुप रहा था। दिनांक 27.12.2024 को मै अपनी चोरी की मोटरसाइकिल से खेकडा की तरफ जा रहा था। पुलिस ने टोर्च मारकर रोकने का प्रयास किया मै नही रूका और कट मारते हुये भागने लगा, पुलिस टीम द्वारा मेरा पीछा किया गया। मै पुलिस की गाडी को देखकर आवास विकास की तरफ भागने लगा। आगे चलकर हडबडाहट व बारिश होने से मोटरसाईकिल डिवाईडर मे लग कर फिसल गयी थी। मैने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से दो फायर किये , जिसमें पुलिस टीम बाल-बाल बच गयी। पुलिस ने भी मेरे ऊपर फायर किये जिससे मेरे पैर में गोली लग गयी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

भूरा पुत्र इस्लाम हाल नि0- गिरजाघर के पास दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी, मूल नि0- ग्राम चिरोडी जनपद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1- एक अवैध तमंचा 315 बोर जिंदा व खोखा कारतूस
2- 01 मोटर साईकल हीरो स्पलैण्डर प्रो रंग काला

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1. मु0अ0स0 421/24 धारा 309(4) बीएनएस थाना अंकुर विहार, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2. मु0अ0सं0-950/21 धारा 323,504,506 भादवि, थाना लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3. मु0अ0सं0-644/24 धारा 109/317(2)/317(5) बी.एन.एस. व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद

4. मु0अ0सं0 038886 ई पुलिस स्टेशन MV Theft क्राईम ब्रांच दिल्ली।

5. मु0अ0सं0-370/24 धारा 3(5),111(2)(बी),310(2) बीएनस थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।
स्वाट टीम ग्रामीण जोन।

थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा मुठभेड के दौरान एक गोकश घायल अवस्था में गिरफ्तार। कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस, पशु काटने में प्रयुक्त उपकरण व बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 27/28.12.2024 की रात्रि को थाना टीला मोड पुलिस द्वारा कोयल एनक्लेव के सामने संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल सवार अत्यधिक तेजी से भोपुरा की तरफ से आता दिखाई दिया जिसको पुलिस ने रोकने का इशारा दिया। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा अपनी मोटरसाइकिल तेजी से कोयल एनक्लेव के सर्विस रोड पर मोड़ने का प्रयास किया गया जिसमें वह बरसात होने के कारण फिसल कर गिर गया पुलिस को अपनी तरफ आता देख उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर करने पर उसके बाएं पैर में गोली लगी। घायल हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मोहम्मद फिरोज पुत्र मोहम्मद शहाबुद्दीन निवासी रकाबगंज अशरफ अली रोड थाना चांदनी महल दिल्ली बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315, एक खोखा कारतूस वह एक जिंदा कारतूस,एक पशु काटने का बांका, एक रस्सी व बिना नंबर की राइडर काला रंग मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया गया कि कुछ दिनों पहले उसने उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर काका फार्म हाउस के पीछे पशु कटान किया गया था। घायल को उपचार हेतु 50 सैया हॉस्पिटल लोनी भेजा गया है। तथा घटना में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

-एक तमन्चा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस
- एक मोटरसाइकिल
-पशु काटने का बांका व रस्सी

अभियुक्त का नाम पता-

मोहम्मद फिरोज पुत्र मोहम्मद शहाबुद्दीन निवासी रकाबगंज अशरफ अली रोड थाना चांदनी महल दिल्ली

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27/28.12.2024 की रात्रि में थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गश्त एवं चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान ईस्टन पेरीफेरल पर बने डासना टोल प्लाजा से करीब 300 मीटर दुहाई की ओर एक व्यक्ति नो पार्किंग जोन में कार को हाईवे पर गलत दिशा में खडी करके आम जनमानस के जीवन को संकट में डालते हुए बर्थ-डे केक काट रहा था। पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने वरुण पुत्र राकेश गम्भीर निवासी रेवती कुंज थाना हापुड देहात जनपद हापुड बताया। थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त वरुण पुत्र राकेश गम्भीर निवासी रेवती कुंज थाना हापुड देहात जनपद हापुड को गिरफ्तार किया गया तथा MV ACT की धारा-207 के अन्तर्गत वाहन सीज की कार्यवाही की गई। गिरफ्तार अभियुक्त

के विरूद्ध थाना मसूरी पर धारा-125(1) बीएनएस व 122 MV ACT के अन्तर्गत अभियोग पजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपनी कार को लेकर ईस्टन पेरीफेरल पर बने डासना टोल प्लाजा से करीब 300 मीटर आगे दुहाई की ओर नो पार्किग जोन में गलत दिशा में खडी करके बर्थ-डे का केक काट रहा था तभी पुलिस टीम ने गश्त एवं चेकिंग के दैरान मुझे पकड़ लिया तथा मेरी कार को सीज कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

वरुण पुत्र राकेश गम्भीर निवासी रेवती कुंज थाना हापुड देहात जनपद हापुड, उम्र करीब 34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर कंटेनर चलाने वाले चालक एवं परिचालक गिरफ्तार

दिनांक 21.12.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी की तहरीर के आधार पर पकडे गये कंटेनर रजि0 नं0 RJ14GJ0274 के स्वामी एवं चालक नाम पता अज्ञात द्वारा कंटेनर पर आगे की तरफ ऊपर फर्जी नं0 प्लेट NL01AF5607 व उसके नीचे RJ14GJ0274 नं0 तथा वाहन पीछे की तरफ फर्जी नं0 प्लेट NL01AF5607 और उसके नीचे नं0 प्लेट RJ14GJ0274 प्लेट धोखा देने की नियत से लगाकर वाहन चलानें के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थानास्तर से घटना के सफल अनावरण हेतु 02 टीम गठित की गयी। अभियुक्त प्रकाशचन्द पुत्र स्व0 श्री रामलाल उम्र 52 वर्ष एवं आदर्श पुत्र प्रकाशचन्द उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम शिवनाथपुर पुरानी बस्ती मालधनचौड़ थाना रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड को आज दिनांक 28.12.2024 को घटना की छानबीन के बाद हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण प्रकाशचन्द पुत्र स्व0 श्री रामलाल उम्र 52 वर्ष एवं आदर्श पुत्र प्रकाशचन्द उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम शिवनाथपुर पुरानी बस्ती मालधनचौड़ थाना रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड ने पूछने पर एक स्वर में बताया कि दिनांक 21.12.2024 को हम लोग किशनगंज (बिहार) से श्रीनगर जाने के लिए कंटेनर पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर जा रहे थे। तभी वेव सिटी थाना क्षेत्रान्तर्गत जनपद गाजियाबाद में डासना फ्लाईओवर के पास कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मेरी गाडी पुलिस को पकड़वा दी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1.प्रकाशचन्द पुत्र स्व0 श्री रामलाल उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम शिवनाथपुर पुरानी बस्ती मालधनचौड़ थाना रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड

2.आदर्श पुत्र प्रकाशचन्द उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम शिवनाथपुर पुरानी बस्ती मालधनचौड़ थाना रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए केबल (तार) के 111 बडे बण्डल व 126 छोटे बण्डल (कुल 237 बण्डल) बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 26.12.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री राजीव वर्मा प्रोपाराईटर आँफ मैसर्स श्रीराम टेलीइन्फ्रा, निवासी एफ 10 दुर्गा इण्ड0 पार्क राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि ड्राईवर

राकेश कुमार द्वारा गाडी नं0-DLILAD-0243 में 3200 किग्रा0 टेलीकाम इण्डलेशन मैटेरियल व कॉपर केबल को अपलोड कर सोनीपत ले जाना किन्तु ड्राईवर राकेश द्वारा माल को सही स्थान पर न पहुँचाकर रास्ते में ही गायब कर देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा अभियोग अन्तर्गत धारा 316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 1. इदरीश मलिक पुत्र भूरे मलिक निवासी म0नं 505 इस्लाम कॉलोनी बिलाल मस्जिद के पास पसोंडा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष, 2. संतोष कुमार पुत्र रघुनाथ शाह निवासी 60 फुटा रोड ईदगाह के पास एपीजे स्कूल के सामने वाली गली नं0 11 पसोंडा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद मूल पता बहादुरपुर अरमोली थाना घटोह जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 25 वर्ष को आज दिनांक 28.12.2024 को राजेन्द्र नगर गोल चक्कर के पास थाना साहिबाबाद से गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 316(2),317(2) बीएनएस में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गाड़ी के ड्राईवर राकेश कुमार की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्त इदरीश मलिक व संतोष कुमार से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि करीब 10 दिन पहले गाडी नं0-DLILAD-0243 का ड्राईवर राकेश के द्वारा नेजो टॉवर का सामान दुर्गा इंडस्ट्रीयल एरिया साहिबाबाद से सोनीपत ले जाने के लिए भरा था। रास्ते में गाड़ी में से ड्राईवर राकेश ने कुछ सामान इदरीश मलिक व संतोष कुमार को दे दिया और कुछ सामान शौकीन कबाडी निवासी दिल्ली को दे बेच दिया था। अभियुक्त इदरीश मलिक व संतोष कुमार से जो सामान बरामद हुआ है उसे बेचने के लिये दिल्ली जाने की फिराक में थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-</u>

1. इदरीश मलिक पुत्र भूरे मलिक निवासी म0नं 505 इस्लाम कॉलोनी बिलाल मस्जिद के पास पसोंडा थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।
2. संतोष कुमार पुत्र रघुनाथ शाह निवासी 60 फुटा रोड ईदगाह के पास एपीजे स्कूल के सामने वाली गली नं0 11 पसोंडा थाना टीला मोड गाजियाबाद मूल पता बहादुरपुर अरमोली थाना घटोह जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 25 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्त इदरीश मलिक व संतोष कुमार के आपारधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

कब्जे से चोरी किये हुए केबल (तार) के 111 बडे बण्डल व 126 छोटे बण्डल (कुल 237 बण्डल) बरामद। (कीमत लगभग 3,00,000/- रुपये)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।